

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 8(3)एमई/ग्रुप-1/2018 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 31/3/2021

आदेश

राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विद्यमान नियमित चिकित्सक शिक्षक, जिनके पास उनकी नियुक्ति के विषय से भिन्न एम.सी.आई. द्वारा यथाविहित सुपर-स्पेशियलिटी विषय में डिग्री है और एम.सी.आई. द्वारा यथाविहित सुपर स्पेशियलिटी के उनके अपने विषय की विशिष्टता में उपलब्ध रिक्त पदों पर सहायक आचार्य के रूप में विस्थापित (Shift) होने बाबत जिनके द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(3)कार्मिक/क-2/78 दिनांक 10.3.2021 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ख में किये गये संशोधन के तहत एक बारगी विकल्प (One-time option) प्रस्तुत किया गया है। ऐसे निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनकी मूल विशिष्टता से उनके नाम के सम्मुख अंकित सुपर स्पेशियलिटी विशिष्टता में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से विस्थापित (Shift) किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक मय विशिष्टता	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पद व सुपर स्पेशियलिटी जिसमें विस्थापन चाहा गया है	विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि
1.	डॉ. मनोज कुमार सह आचार्य, जनरल सर्जरी	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सहायक आचार्य, यूरोलोजी	12.3.2021
2.	डॉ. सोमेन्द्र बसंल सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी	मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सहायक आचार्य, यूरोलोजी	17.3.2021

उक्त चिकित्सक शिक्षकों का सुपर-स्पेशियलिटी विशिष्टता में विस्थापन निम्न शर्तों के अधीन रहेगा :-

- (1) एक ही विषय में एक से अधिक चिकित्सक शिक्षकों के विस्थापित होने पर उनकी वरियता राजस्थान लोक सेवा आयोग की मूल वरियता (मूल विशिष्टता की वरियता) के अनुसार रहेगी।
- (2) दिनांक 01.4.2021 से पूर्व अन्य आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरियता (मूल विशिष्टता की वरियता) में कनिष्ठतम का विस्थापन नहीं माना जा सकेगा।

उक्त चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही विस्थापित सुपर स्पेशियलिटी में तत्काल कार्यग्रहण करेंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,
लिल
(सुनील शर्मा) 31/3/2021
संयुक्त शासन सचिव

क्रमशः-2

(2)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज., जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज।
6. रक्षित पत्रावली।

८१
३१/३/२०२१
संयुक्त शासन सचिव